

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**  
मांग संख्या 42  
**स्वास्थ्य विभाग**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट, 2001-2002			संशोधित, 2001-2002			बजट, 2002-2003		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व पूंजी जोड़	1360.24 72.50 <b>1432.74</b>	928.18 -6.67 <b>921.51</b>	2288.42 65.83 <b>2354.25</b>	1328.00 ... <b>1328.00</b>	944.18 -6.67 <b>937.51</b>	2272.18 -6.67 <b>2265.51</b>	1493.51 ... <b>1493.51</b>	933.63 ... <b>933.63</b>	2427.14 ... <b>2427.14</b>
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	2.00	10.65	2.00	10.65	12.65	3.00	10.78	13.78
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	0.90	...	1.40	1.40	...	0.90	0.90
<b>चिकित्सा और जन स्वास्थ्य</b>									
3. स्वास्थ्य सेवा									
महानिदेशालय	2210	0.70	14.65	0.50	14.51	15.01	2.00	14.84	16.84
4. राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय	2210	7.50	2.37	7.00	2.21	9.21	7.50	2.40	9.90
5. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	2210	12.00	262.00	9.00	295.31	304.31	12.00	265.00	277.00
<b>अस्पताल और औषधालय-एलोपैथी</b>									
6. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	2210	22.00	58.90	24.00	61.90	85.90	42.00	59.67	101.67
7. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	2210	21.00	40.20	21.00	39.56	60.56	17.20	40.72	57.92
8. कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली	2210	5.70	8.55	5.00	8.32	13.32	5.70	8.66	14.36
9. केन्द्रीय मनोरोगविज्ञान संस्थान, रांची	2210	7.00	7.65	2.50	7.55	10.05	3.50	7.75	11.25
10. अखिल भारतीय काय औषध और पुनर्वास संस्थान, मुंबई	2210	2.28	3.00	2.28	2.98	5.26	2.00	3.06	5.06
11. चिकित्सा सेवा सुधार योजना	2210	0.50	...	0.25	...	0.25	...	...	...
12. अन्य व्यय	2210	1.00	0.93	0.68	0.82	1.50	...	0.92	0.92
<b>जोड़ - अस्पताल और औषधालय-एलोपैथी</b>		<b>59.48</b>	<b>119.23</b>	<b>55.71</b>	<b>121.13</b>	<b>176.84</b>	<b>70.40</b>	<b>120.78</b>	<b>191.18</b>
<b>चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान</b>									
13. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	2210	100.00	166.80	95.00	155.00	250.00	105.00	167.00	272.00
14. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	2210	7.54	36.20	6.50	35.62	42.12	8.20	36.65	44.85
15. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु-विज्ञान संस्थान, बंगलौर	2210	24.00	14.60	24.00	14.13	38.13	24.00	14.60	38.60
16. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	2210	45.00	94.40	25.00	92.24	117.24	25.00	94.50	119.50
17. जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	2210	11.00	37.60	11.50	37.60	49.10	12.50	38.10	50.60
18. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	2210	102.00	65.30	102.00	64.97	166.97	98.00	65.50	163.50
19. कैंसर अनुसंधान	2210	48.00	3.10	41.75	2.79	44.54	40.00	3.14	43.14
	3601	12.00	...	18.25	...	18.25	15.00	...	15.00
	जोड़	60.00	3.10	60.00	2.79	62.79	55.00	3.14	58.14
20. कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा	2210	10.00	...	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
21. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट दिल्ली विश्वविद्यालय	2210	5.00	5.95	5.00	5.93	10.93	8.00	6.00	14.00
22. प्राईवेट मेडिकल कालेजों को अनुदान	2210	...	6.00	...	6.00	6.00	...	5.50	5.50
23. अन्य कार्यक्रम	2210	9.03	6.25	7.03	6.11	13.14	15.30	6.35	21.65
<b>जोड़ - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान</b>		<b>373.57</b>	<b>436.20</b>	<b>346.03</b>	<b>420.39</b>	<b>766.42</b>	<b>361.00</b>	<b>437.34</b>	<b>798.34</b>

मुख्य शीर्ष	(करोड़ रुपए)									
	बजट, 2001-2002			संशोधित, 2001-2002			बजट, 2002-2003			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
<b>जन स्वास्थ्य</b>										
24. राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम	2210	52.11	5.20	57.31	43.04	5.15	48.19	55.00	5.23	60.23
	3601	114.70	...	114.70	128.92	...	128.92	130.80	...	130.80
	3602	1.19	...	1.19	1.04	...	1.04	1.20	...	1.20
जोड़		168.00	5.20	173.20	173.00	5.15	178.15	187.00	5.23	192.23
25. काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम	3601	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	20.00	...	20.00
26. राष्ट्रीय फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	2210	...	0.26	0.26	...	0.25	0.25	...	0.21	0.21
27. क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	77.07	...	77.07	63.46	...	63.46	64.00	...	64.00
	3601	44.43	...	44.43	36.02	...	36.02	45.50	...	45.50
	3602	0.50	...	0.50	0.52	...	0.52	0.50	...	0.50
जोड़		122.00	...	122.00	100.00	...	100.00	110.00	...	110.00
28. कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	2210	51.64	...	51.64	51.64	...	51.64	66.64	...	66.64
	3601	15.32	...	15.32	15.32	...	15.32	5.84	...	5.84
	3602	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.02	...	0.02
जोड़		67.00	...	67.00	67.00	...	67.00	72.50	...	72.50
29. रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम	2210	58.75	...	58.75	55.06	...	55.06	32.35	...	32.35
	3601	67.10	...	67.10	64.79	...	64.79	50.00	...	50.00
	3602	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
जोड़		126.00	...	126.00	120.00	...	120.00	82.50	...	82.50
30. राष्ट्रीय आयोडीन कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम	2210	3.74	...	3.74	3.74	...	3.74	4.90	...	4.90
	3601	0.72	...	0.72	0.72	...	0.72	1.00	...	1.00
	3602	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06	0.10	...	0.10
जोड़		4.52	...	4.52	4.52	...	4.52	6.00	...	6.00
31. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	2210	180.00	...	180.00	199.70	...	199.70	198.00	...	198.00
32. मादक द्रव्यों की लत छुड़ाने संबंधी कार्यक्रम	2210	6.93	...	6.93	5.87	...	5.87	6.50	...	6.50
33. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली	2210	14.23	9.30	23.53	7.23	9.16	16.39	10.70	9.47	20.17
	3601	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06	9.00	...	9.00
जोड़		14.29	9.30	23.59	7.29	9.16	16.45	19.70	9.47	29.17
34. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	2210	6.20	10.60	16.80	4.00	10.20	14.20	5.00	10.70	15.70
35. पत्तन स्वास्थ्य स्थापना एवं विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन	2210	1.20	7.75	8.95	0.20	6.54	6.74	1.20	7.85	9.05
36. राष्ट्रीय जैविकीय मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान, नई दिल्ली	2210	23.15	...	23.15	5.00	...	5.00	20.00	...	20.00
37. बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला गिंडी, चेन्नई	2210	1.00	3.00	4.00	1.00	3.00	4.00	1.70	3.03	4.73
38. अस्थिल भारतीय स्वच्छता विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता	2210	2.94	5.85	8.79	0.50	5.84	6.34	3.00	5.90	8.90
39. लाला राम स्वरुप क्षयरोग और सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली	2210	9.00	4.10	13.10	9.90	4.05	13.95	10.00	4.15	14.15
40. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	2210	4.48	...	4.48	2.50	...	2.50	27.00	...	27.00
41. अन्य जन स्वास्थ्य संस्थान	2210	8.05	7.65	15.70	6.05	7.50	13.55	9.70	7.75	17.45
42. अन्य योजनाएं	2210	...	1.70	1.70	...	1.58	1.58	0.50	1.72	2.22
<b>जोड़ - जन स्वास्थ्य</b>		<b>756.76</b>	<b>55.41</b>	<b>812.17</b>	<b>718.53</b>	<b>53.27</b>	<b>771.80</b>	<b>780.30</b>	<b>56.01</b>	<b>836.31</b>
<b>अन्य कार्यक्रम</b>										
43. राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि का गठन	2210	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
44. गरीबों को अस्पताल में भर्ती कराने पर होने वाले व्यय के लिए सहायता	3601	...	4.00	4.00	...	2.58	2.58	...	2.50	2.50
	3602	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.30	0.30
जोड़		...	4.20	4.20	...	2.78	2.78	...	2.80	2.80

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2001-2002			संशोधित, 2001-2002			बजट, 2002-2003		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		(करोड़ रुपए)								
45. स्टाघ पदार्थों में मिलावट की रोकथाम	2210 3601 जोड़	7.00 ... 7.00	1.95 ... 1.95	8.95 ... 8.95	3.00 ... 3.00	1.94 ... 1.94	4.94 ... 4.94	8.00 0.80 8.80	1.97 ... 1.97	9.97 0.80 10.77
46. प्रशिक्षण संस्थान	2210	4.95	8.30	13.25	3.95	8.20	12.15	4.41	8.40	12.81
47. परिचर्या सेवाओं का विकास	2210	21.50	...	21.50	12.00	...	12.00	20.00	...	20.00
48. औषधि मानक नियंत्रण कार्यक्रम	2210 3601 जोड़	7.00 ... 7.00	5.30 ... 5.30	12.30 ... 12.30	5.00 ... 5.00	5.26 ... 5.26	10.26 ... 10.26	12.00 0.50 12.50	5.35 ... 5.35	17.35 0.50 17.85
49. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2210	...	6.06	6.06	...	6.18	6.18	...	6.10	6.10
50. अन्य योजनाएं	2210 3601 3602 जोड़	12.78 21.50 1.00 35.28	0.66 ... ...	13.44 21.50 1.00 35.94	9.10 22.18 1.00 32.28	0.65 ... ...	9.75 22.18 1.00 32.93	56.60 ... ... 56.60	0.66 ... ... 0.66	57.26 ... ... 57.26
51. चिकित्सा भण्डार संगठन जोड़ - अन्य कार्यक्रम	4210	...	-6.67	-6.67	...	-6.67	-6.67	...	...	...
52. सहायता सामग्री और उपस्कर - सकल घटाइये - कार्यात्मक मुख्य शीर्षों को अंतरण	3606 3606	...	25.30	25.30	...	25.30	25.30	...	25.80	25.80
निवल-सहायता सामग्री और उपस्कर										
53. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2552 4552 जोड़	72.50 72.50 145.00	...	72.50 72.50 145.00	133.00 ...	...	133.00 ...	155.00 ...	...	155.00 ...
<b>कुल जोड़*</b>		<b>1432.74</b>	<b>921.51</b>	<b>2354.25</b>	<b>1328.00</b>	<b>937.51</b>	<b>2265.51</b>	<b>1493.51</b>	<b>933.63</b>	<b>2427.14</b>
<b>ख. सरकारी उद्यमों में निवेश</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आ.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब.बा.सं.	जोड़
1. अस्पताल सेवा परामर्शी निगम (इंडिया) लि.	22210	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>ग. आयोजना परिव्यय*</b>										
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
2. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	22210	1303.00	...	1303.00	1215.17	...	1215.17	1392.00	...	1392.00
3. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	145.00	...	145.00	133.00	...	133.00	155.00	...	155.00
जोड़		1450.00	...	1450.00	1350.17	...	1350.17	1550.00	...	1550.00
मांग संख्या 82	22210	3.66	...	3.66	2.58	...	2.58	8.79	...	8.79
मांग संख्या 83	22210	13.60	...	13.60	19.59	...	19.59	47.70	...	47.70
<b>जोड़</b>		<b>17.26</b>	...	<b>17.26</b>	<b>22.17</b>	...	<b>22.17</b>	<b>56.49</b>	...	<b>56.49</b>

\*इसमें निम्नलिखित मांगों में शामिल निर्माण परिव्यय भी शामिल है।

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं:** इसमें स्वास्थ्य विभाग के सचिवालय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **विवेकाधीन अनुदान:** ये अनुदान जन हित के पात्र मामलों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

3. **स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय:** इसके अन्तर्गत चिकित्सीय तथा लोक स्वास्थ्य संबंधी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञता की व्यवस्था की जाती है और यह महानिदेशालय स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह देश में और देश से बाहर जैव-चिकित्सा संबंधी जानकारी इकट्टी करने, संसाधित करने तथा उसकी आपूर्ति करने के लिये एक केन्द्रीय कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

4. **राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय:** यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तत्वावधान के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव-चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विज्ञान सूचना संसाधन के रूप में कार्य करता है। यह अपने सूचना संबंधी उत्पादों तथा सेवाओं के माध्यम से समग्र देश के सभी चिकित्सा व्यवसायिकों तक पहुंचता है।

5. **केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना:** इस योजना के अधीन संसद सदस्यों, पूर्व संसद सदस्यों, भूतपूर्व राज्यपालों, भूतपूर्व उप-राष्ट्रपतियों, उच्चतम न्यायालय

तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके परिवार के सदस्यों आदि जैसे अन्य विनिर्दिष्ट वर्गों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी/सिद्ध औषधालयों/एककों के नेटवर्क के माध्यम से बहिरंग रोगियों की देखभाल की सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। वर्तमान में यह स्कीम सारे देश में 18 शहरों में 41.42 लाख लाभार्थियों (जिनमें केन्द्रीय सरकार के सेवारत कर्मचारी तथा पेंशनर दोनों शामिल हैं) को कवर करती है।

6. **सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली:** 1531 शैयाओं वाला केंद्रीय सरकार का अस्पताल है। अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं सहित बर्न और प्लास्टिक सर्जरी, हृदय रोग सम्बन्धी शल्य चिकित्सा, मूत्र रोग, रुधिर तथा जीव-रसायन सम्बन्धी जांच की सुविधा मुहैया कराई जाती है। यहां डायलीसिस और लेप्रोस्कोपिक स्टिरलाइजेशन सुविधा भी उपलब्ध है। नेत्र-विज्ञान विभाग में एक नेत्र बैंक की स्थापना की गयी है जिसमें अस्पताल में तथा दिल्ली क्षेत्र से नेत्र सुधार की सुविधा उपलब्ध है। यह अपने परिसरों के अन्तर्गत भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद को मुफ्त आयुर्वेदिक-बहिरंग रोगी विभाग चलाने के लिए सहायता प्रदान करता है। इसके परिसर के भीतर होम्योपैथिक बाह्य रोगी विभाग भी कार्यरत है।

**7. डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली:** यह भी केन्द्रीय सरकार का एक चिकित्सा अस्पताल है और इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों तथा संसद सदस्यों आदि के लिए संचालित एक नर्सिंग होम (सुश्रूषा गृह) भी शामिल है। इस अस्पताल में 937 रोगी शैयाएं हैं। इसके 29 विभाग हैं, जिनमें स्नायु शल्य चिकित्सा, बर्निंग और प्लास्टिक सर्जरी, हृदय रोग विज्ञान, मूत्र-रोग विज्ञान, पेट संबंधी रोग, बाल-चिकित्सा संबंधी शल्य चिकित्सा और हृदय रोग संबंधी शल्य चिकित्सा जैसे सभी प्रमुख विशेष विभाग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अस्पताल में सम्पूर्ण शरीर का सीटी स्कैनर, कार्डिअक केथ लैब, नॉन इन्वेसिव कार्डिअक लैब, हाइपर बैरक आक्सीजन चैम्बर आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। दिन में देखभाल के लिए शिशु-चिकित्सा विभाग में 6 शैयाओं वाला एक थैलसेमिया/ल्यूकेमिया वार्ड खोला गया है। इस अस्पताल में औषधीय, शल्य, अस्थि-रोग में चौबीस घण्टे की सेवाओं सहित सुस्थापित आपात सेवाओं के साथ-साथ मांग करने पर अन्य विशेषज्ञ सेवाएं भी मौजूद हैं। यह अस्पताल शल्य, चिकित्सा-शास्त्र, रेडियोलॉजी, शिशु-चिकित्सा, त्वचा और ईएनटी जैसी विभिन्न विशेषज्ञ-विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षा (एमडी, एमएस इत्यादि) भी मुहैया कराता है। यह अस्पताल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अवर स्नातक विद्यार्थियों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र भी है। 75 छात्रों की संख्या वाला एक नर्सिंग स्कूल भी इस अस्पताल द्वारा चलाया जा रहा है।

**8. कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली:** इस अस्पताल में 350 रोगी शैयाएं हैं और यह केवल बच्चों के रोगों के इलाज के लिए अस्पताल है। इसका प्रबंध लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज द्वारा किया जाता है। अस्पताल में बाल रोग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, हड्डियों के उपचार की व्यवस्था है और बच्चों के लिए गहन सुश्रूषा सुविधाओं की भी व्यवस्था है। विद्यमान सुविधाओं को जापानी अन्तर्राष्ट्रीय निगम अभिकरण से विदेशी सहायता लेकर 150 बिस्तरों की अतिरिक्त सुविधा के साथ बाल रोग चिकित्सा में विशिष्टता प्रदान करने के लिए बढ़ाया जा रहा है।

**9. केन्द्रीय मनोरोग संस्थान, रांची:** देश में मनोरोग उपचार के लिए केन्द्रीय सरकार का यह एक प्रमुख संस्थान है। 643 बिस्तरों वाला यह संस्थान दो पड़ोसी देशों, अर्थात् नेपाल और भूटान के रोगियों के उपचार की व्यवस्था भी करता है। रोग निदान तथा उपचार की सुविधाओं के अतिरिक्त, इस संस्थान में मनोरोग संबंधी स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रमों का आयोजन भी किया जाता है।

**10. अखिल भारतीय काय औषध एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई:** यह चिकित्सा पुनर्वास सेवाओं की सुविधाओं से सम्पन्न सम्पूर्ण दक्षिण एशिया में एक अगुआ संस्थान है। इस संस्थान की क्षमता 45 शैयाओं की है और इसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक का प्रशिक्षण दिया जाता है और पुनर्वास औषधियों पर अनुसंधान किया जाता है।

**11. चिकित्सा-विज्ञान के सुधार की योजना:** इसमें मौजूदा अस्पतालों और दवाखानों के विस्तार के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता देने हेतु व्यवस्था शामिल है।

**13. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली:** इस संस्थान को 1956 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा औषध विज्ञान के विभिन्न विषयों पर प्रयोग तथा अनुसंधान करने के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। इस संस्थान में 1596 रोगी शैयाओं की व्यवस्था है। डा. राजेन्द्र प्रसाद आन्ध्रलमिक विज्ञान केन्द्र भी इससे सम्बद्ध है। केन्द्रीय सरकार, संस्थान को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संस्थान में अनुसंधान की कुछ योजनाओं की वित्त-व्यवस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद द्वारा की जाती है।

**14. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली:** यह कालेज सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका संचालन स्त्रियों को अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा, पुरुष विद्यार्थियों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है और इसमें स्त्रियों और बच्चों की डाक्टर सुश्रूषा भी की जाती है। विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस कालेज के साथ कतिपय अस्पताल भी सम्बद्ध हैं, जैसे कि श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल तथा कलावती सरन बाल अस्पताल आदि। यह नर्सिंग स्कूल का भी संचालन करता है, जिसमें नर्सिंग तथा धात्री-विद्या पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

**15. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायु विज्ञान संस्थान, बंगलौर:** यह एक स्वायत्त संस्थान है और इसे भारत सरकार से अनुरक्षण अनुदान सहायता प्राप्त होती है। इस संस्थान में मानसिक तथा स्नायुविज्ञान के क्षेत्र में सेवाओं, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यों की व्यवस्था की जाती है। यह संस्थान अब एक सम विश्वविद्यालय के रूप में माना जाने लगा है और संस्थान में मेडिकल तथा पैरामेडिकल विषयों में डिग्री व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था है।

**16. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़:** इस संस्थान की स्थापना संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गई है और इसके कृत्य भी वही हैं जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के हैं लेकिन इसके कार्य स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। इस संस्थान की संपूर्ण वित्त-व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है और यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान तथा विशिष्ट अस्पताली सेवाओं की व्यवस्था करने वाला केन्द्र भी है। इस संस्थान से सम्बद्ध नेहरू अस्पताल में 1268 रोगी-शैयाओं की व्यवस्था है।

**17. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी:** इस संस्थान का वित्तपोषण और संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस संस्थान में अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इसके अस्पताल में, जिसमें 860 रोगी शैयाएं हैं, पांडिचेरी और पड़ोसी राज्यों के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह संस्थान, मेडिकल अध्यापकों के प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन भी करता है, जिसमें अध्यापन पाठ्य चर्चा में होने वाले अद्यतन परिवर्धनों का प्रदर्शन किया जाता है।

**18. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद:** देश में जैव-चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के सर्वधन, समन्वयन और सूत्रीकरण के लिये एक शीर्ष निकाय है। केन्द्रीय सरकार परिषद को, संक्रामक रोगों, गर्भनिरोधकों, प्रसूति तथा बाल स्वास्थ्य, पोषाहार, संक्रामक रोगों से भिन्न रोगों और आधारभूत अनुसंधान के कार्य के लिए शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान देती है। यह परिषद, जनजातीय स्वास्थ्य तथा परम्परागत औषधि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने तथा उक्त जानकारी के प्रकाशन और प्रसारण के कार्य में भी लगी हुई है।

**19. कैंसर अनुसंधान:** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आई.आर.सी.एच. (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) नई दिल्ली और सी.एन.सी.आई, कोलकाता के अलावा अहमदाबाद, बंगलौर, कटक, ग्वालियर, इलाहाबाद, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, पटना और नागपुर में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सहायता प्रदान की जाती है। कोबाल्ट चिकित्सा एककों की स्थापना और कैंसर रोग का शीघ्र पता लगाने संबंधी कार्यों क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकारी चिकित्सा कालेजों में अर्बुद-विद्या स्कन्धों के विकास तथा जिला परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

**20. कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसाइटी, सेवाग्राम:** यह देश में ग्रामीण परिवेश में स्थापित होने वाला पहला एवं अग्रणी मेडिकल कालेज है और यह विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में अवगत कराता है। सोसाइटी का एक 645 शैयाओं का अध्यापन हस्पताल है, इसमें उत्तम दर्जे की नैदानिक एवं उपचार सुविधाएं हैं और स्नातक स्तर से पूर्व की एवं स्नातकोत्तर स्तर के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

**21. वल्लभभाई पटेल चैस्ट संस्थान, दिल्ली:** यह व्यावहारिक एवं प्राथमिक अनुसंधान, स्नातकोत्तर स्तर के अध्यापन, छाती से सम्बन्धित रोगों के परामर्शी चिकित्सालयों एवं अनुसंधानशाला नैदानिक सेवाओं के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय संस्थान है। यह भारत के विभिन्न भागों के संकाय सदस्यों एवं चिकित्सकों के लिए श्वसन सम्बन्धी रोगों के अल्प अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है।

**23. अन्य कार्यक्रम:** इसमें ए.आई.आई एण्ड एच, मैसूर, आरएके नसिग महाविद्यालय, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत परिषद, भारतीय फार्मसी परिषद, भारतीय नसिग परिषद, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आदि शामिल हैं।

**रोगों का निवारण और नियंत्रण:** केन्द्रीय सरकार विभिन्न केन्द्र-प्रायोजित स्वास्थ्य

कार्यक्रमों का वित्तपोषण 100 प्रतिशत आधार पर अथवा 50 प्रतिशत आधार पर करती है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण तथा शहरी)	50 प्रतिशत
राष्ट्रीय फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	50 प्रतिशत
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	100 प्रतिशत
राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम	100 प्रतिशत
राष्ट्रीय दृष्टिदोष तथा अन्धता निवारण योजना, जिसमें रोहा रोग निवारण कार्य भी शामिल है।	100 प्रतिशत
राष्ट्रीय आयोडीन अपूर्णता विकार नियंत्रण कार्यक्रम	100 प्रतिशत
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	100 प्रतिशत

देश में होने वाली कुल मृत्यु-संख्या का दो-तिहाई भाग संचारी रोगों के कारण होता है। केन्द्रीय सहायता इन रोगों की रोकथाम, नियंत्रण तथा उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों के लिये दी जाएगी।

**24. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम:** पांचवें दशक के पूर्वभाग में 7.5 करोड़ व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित थे और मलेरिया से मरने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 0.8 लाख थी। मलेरिया के मामलों की यह संख्या घट कर 1 लाख से कम रह गई और वर्ष 1965 में मलेरिया से कोई मौत नहीं हुई। उसके बाद से 1976 में मलेरिया पुनः फैलने के 64 लाख मामले हुए परन्तु इसे छठी योजना अवधि के दौरान कम करके 20 लाख मामलों तक लाया गया है। सातवीं योजना अवधि के दौरान मलेरिया के मामले कमोबेश स्थिर रहे और इसलिए, स्थानीय स्थिति अर्थात् एकीकृत बीमारी रोगवाहक नियंत्रण पर बल देते हुए मलेरिया होने की संभावना के आधार पर नई नीति और देश के जनजातीय क्षेत्रों के सघन मलेरिया-विरोधी उपायों की आवश्यकता है। मलेरिया के नियंत्रण की गतिविधियों को तेज करने के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की गई है। मलेरिया महामारी तथा देश के जनजाति/पिछड़े क्षेत्रों में नियंत्रण उपाय करने के लिए वर्तमान में विश्व बैंक की सहायता से एक मलेरिया नियंत्रण परियोजना दिनांक 30.9.1997 से कार्यान्वित की जा रही है जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों के 100 जिलों और 1045 लोक स्वास्थ्य केन्द्रों को कवर किया गया है। कुछ राज्यों से परामर्श करके तथा कुछ तकनीकी पहलुओं को शामिल करके राष्ट्रीय डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। 235 करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से 150 करोड़ रुपए तक की निधियां विदेशी सहायता प्राप्त संघटकों के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है।

**25. काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम:** बिहार और पश्चिम बंगाल में यह एक गम्भीर जन स्वास्थ्य समस्या है। आठवें दशक के प्रारम्भ के वर्षों में बिहार में इसका प्रादुर्भाव हुआ, तत्पश्चात् यह 4 जिलों से निकट के क्षेत्रों में फैल गया। इस समय बिहार के लगभग 36 जिले और पश्चिम बंगाल के 9 जिले काला आजार से प्रभावित हैं। भारत सरकार ने मई, 1996 में एक विशेषज्ञ-दल बिहार और पश्चिम बंगाल में काला-आजार नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए गठित किया। दल की रिपोर्ट में राज्य सरकार के विचार भी लिए गए। राज्यों से मिले अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार इस बीमारी में वर्ष 1998 और 1999 में गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज की गई है।

**27. क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** क्षयरोग अभी भी जन स्वास्थ्य की एक प्रमुख समस्या बना हुआ है। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम एनटीसीपी 1962 से प्रचालन में है। डीटीसी और वह जिला क्षयरोग केन्द्रों की नोडल एजेंसियों, सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से कार्य करता है। अभी तक देश में 446 जिला क्षयरोग केन्द्र कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक संख्या में क्षयरोग के मामलों की खोज करना तथा उनका इलाज करना है। इस नीति से वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हुए। 1992 में इस कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी और इसके परिणामस्वरूप एक संशोधित नीति तैयार की गई थी। यह संशोधित नीति 85 प्रतिशत से अधिक संक्रमित रोगियों के अच्छा होने की बढ़ती हुई दर

पर जोर देती है। यह संशोधित कार्यक्रम रेडियोलोजी के बजाय थूक के परीक्षण को बढ़ावा देता है। यह नीति वर्ष 1997-98 से तीन वर्षों से विश्व बैंक से उदार ऋण लेकर देश में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही है। 'डोट्स' नीति के अन्तर्गत लगभग 300 मिलियन आबादी को पहले ही कवर किया जा चुका है। वर्ष 2002 तक डोट्स नीति के अन्तर्गत 500 मिलियन से अधिक जनसंख्या को कवर करने की परिकल्पना की गई है। 115.00 करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से 109 करोड़ रुपए तक की निधियां विदेशी सहायता प्राप्त संघटकों के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है।

**28. कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम ने अत्यधिक सफलता प्राप्त की है। देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या 1981 में 4.0 मिलियन से घटकर मार्च, 1999 के अन्त तक 0.48 मिलियन हो गयी है। एमडीटी की सेवाएं देश के सभी जिलों के लिए मंजूर की गई हैं। यह कार्यक्रम 490 जिला कुष्ठरोग समितियों के माध्यम से चलता है। 75 करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से 70 करोड़ रुपए तक की निधियां विदेशी सहायता प्राप्त संघटकों के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है।

**29. रोहा और अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम:** अन्धता नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम को 1976 में सारे देश में लागू किया गया था। इस कार्यक्रम का मूल लक्ष्य वर्ष 2000 तक देश में अन्धता के मौजूदा प्रतिशत को 1.4 प्रतिशत से कम करके 0.3 प्रतिशत तक लाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कैम्प लगा कर जरूरतमंद रोगियों को तत्काल सहायता दी जाती है तथा आंखों की देखभाल के लिये स्थायी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी उपाय भी किये जाते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला अन्धता नियंत्रण समितियों की अवधारणा को जिले में आंख की देखभाल संबंधी सेवा के प्रबन्ध को विकेन्द्रीकृत करने तथा सरकारी, और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी बनाने के लिए कार्यान्वित किया गया है। अभी तक 520 जिला अन्धता नियंत्रण समितियां बनाई गई तथा कार्य कर रही हैं। विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत एक परियोजना शुरू की गई है तथा अप्रैल, 1994 से यह 7 प्रमुख राज्यों अर्थात् आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आंख की देखभाल संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में प्रभावी रही है। इन 7 राज्यों में परियोजना की प्रमुख उपलब्धियां आंखों की देखभाल, सेवा का उन्नयन करना, इसका दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार करना, डी.बी.सी. की स्थापना तथा कार्य, ओपथेलमिक मैनापावर प्रशिक्षण प्रबंध तथा सूचना प्रणाली में सुधार लाना और जनता में इस कार्यक्रम के बारे में जागरूकता लाना है। इस परियोजना में गैर-सरकारी तथा निजी क्षेत्र का सहयोग भी शामिल है। नौवीं योजना के लिए 448 करोड़ रुपए का परियोजना संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदित कर दिया गया है। कर्नाटक राज्य में प्रायोगिक परियोजना सहित नवम्बर, 1997 से 5 वर्षों की अवधि के लिए एन.पी.सी.बी. को डेनिश सहायता (चरण-III) प्रभावी है। यह कार्यक्रम एक वर्ष के लिए अर्थात् 2002-2003 तक बढ़ा दिया गया है। 86 करोड़ रुपए के कुल आवंटनों में से 10 करोड़ रुपए तक की निधियां विदेशी सहायता प्राप्त संघटकों के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है।

**30. राष्ट्रीय आयोडीन अपूर्णता विकार नियंत्रण कार्यक्रम:** एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 71 मिलियन व्यक्ति आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वाने के समस्त नमक को चरणबद्ध तरीके से आयोडीनयुक्त किया जायेगा। वर्ष 2002-2003 के दौरान 7 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

**31. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम:** एड्स हाल ही के वर्षों में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरा है। एच.आई.वी. संक्रमण और एड्स के साथ जुड़ी हुई बहु-पक्षीय समस्याओं का सामना करने की तुरन्त आवश्यकता को पहचानते हुए सरकार ने एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए आई.डी.ए./विश्व बैंक से उदार शर्तों वाले ऋण के रूप में पर्याप्त सहायता के साथ एक परियोजना शुरू की है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, रक्त सुरक्षा उपायों और रतिज रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 1155 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार ने इस द्वितीय परियोजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के स्थान पर विशेषकर उन वर्ग के लोगों को जिनसे एचआईवी फैलने की अधिक आशंका है, उनमें हस्तक्षेप करके उनके व्यवहार को बदलने के साथ-साथ तथा दीर्घावधि आधार पर एच.आई.वी./एड्स के

प्रति जागरूकता लाने में भारत की क्षमता मजबूत बनाना है। इस परियोजना में एचआईवी नियंत्रण के लिए प्रबंधन क्षमता को बढ़ाना, एचआईवी/एड्स के मरीजों को सामुदायिक सहयोग देना तथा इसके प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना शामिल है। वर्तमान में यह कार्यक्रम 35 एड्स नियंत्रण समितियों, जिसमें नगर निगम स्तर पर 3 समितियां शामिल हैं, के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। देश में रक्त बैंक की सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए एक स्वायत्तशासी संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ ब्लड ट्रांसफ़िक्शन की स्थापना की गई है। यू.एस.ए.आई.डी. की सहायता से चेन्नई की स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से तमिलनाडु में एड्स रोकथाम और नियंत्रण परियोजना पर भी कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना में अनेक गैर-सरकारी संगठनों का पता लगाकर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके जनसंख्या के उन लोगों को (जिन्हें एड्स का अत्यधिक जोखिम है) जो संक्रमण के निकट हैं, विशेष रूप से वेश्याओं और उनके ग्राहकों के साथ-साथ एसटीडी रोगियों में एचआईवी की रोकथाम की व्यवस्था को पुनः प्रवृत्त करना है। 225 करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से 223.50 करोड़ रुपए तक की निधियां विदेशी सहायता प्राप्त संघटक के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है।

**32. ड्रग्स के व्यसन को छुड़ाने का कार्यक्रम:** इस में अभिज्ञात चिकित्सा संस्थाओं/जिला स्तरीय अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सीय सेवाएं मुहैया करायी जाती हैं, संवेदनशील क्षेत्रों में मरक-विज्ञान पर अध्ययन आयोजित किए जाते हैं, ड्रग्स की बुराइयों की अनुवीक्षण प्रणाली का विकास, स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री की तैयारी, मानव शक्ति विकास और नशीले पदार्थों के सेवन से बचने की तकनीकों में नवीनीकृत दृष्टिकोण अपनाए जाने के कार्यक्रम भी हैं। इसके अंतर्गत, 6 केंद्रीय संस्थान/अस्पताल अर्थात् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, पी.जी.आई. चंडीगढ़ जिपमेर, पांडिचेरी, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली और एल.एच.एम.सी. और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली और निमहंस, बंगलौर जैसी छह केन्द्रीय संस्थाएं/अस्पताल हैं। केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत सारे देश में इस समय 104 केंद्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तर-पूर्वी राज्यों पर विशेषरूप से ध्यान दिया जा रहा है।

**33. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली:** यह संस्थान संचारी रोग विज्ञान तथा संचारी रोग नियंत्रण से संबंधित विभिन्न विषयों में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य करता है और केन्द्रीय सरकार/राज्यों की सरकारों को तथा अन्य अभिकरणों को संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए तथा उनमें अनुसंधान करने के लिए सेवा प्रदान करने/परामर्श देने की व्यवस्था करता है। इसके कार्य, अलवर, बंगलौर, कालीकट, कुन्नूर, पटना, राजामुन्दी तथा वाराणसी स्थित क्षेत्रीय स्टेशनों और विशिष्ट डिवीजनों के माध्यम से पूरे किए जाते हैं।

**34. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कर्नाली:** चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में अनुसंधान के लिये और इम्यूनोबॉयोलॉजिकल्स के उत्पादन तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए इस संस्थान की स्थापना 1905 में की गई थी। संक्रामक रोगों की औषधियों जैसे डिपथेरिया, पिट्टिसिस, टेटनस, हैजा के टीके, एण्टी-स्नेक वेनम, एण्टी रेबिज सीरम आदि का सबसे अधिक और विस्तृत उत्पादन इसी संस्थान द्वारा किया जाता है। इस संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बी.एस.सी., एम.एस.सी. और एम.फिल. (माइक्रोबायोलॉजी) की नियमित कक्षाएं चलाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, इस संस्थान के एम.डी. पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, पी.एच.डी. बायोकेमिस्ट्री तथा माइक्रोबायोलॉजी के पाठ्यक्रमों को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

**35. पत्तन स्वास्थ्य स्थापना और हवाईअड्डा स्वास्थ्य संगठन:** पत्तन और हवाईअड्डा स्वास्थ्य संगठन देश में 8 बड़े पत्तनों और 5 अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों का प्रशासन करता है और स्वास्थ्य संबंधी जांच पड़ताल और संसर्ग प्रशासन के लिए प्रबन्ध करता है। इस संगठन का उद्देश्य संचारी रोगों का अन्तर्राष्ट्रीय फैलाव रोकना, ऐसे अधिसूचित देशों में जहां स्थानीय बीमारियां होती हैं वहां से आने अथवा उनके माध्यम से स्थानांतरण होने वाले यात्रियों के जरिए देश में पीतज्वर के प्रवेश को रोकना है। भारत में सभी 8 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों द्वारा डी-रेटिंग-मुक्त प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। अब ऐसा मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और कोचीन पत्तनों पर भी किया जा रहा है।

**36. राष्ट्रीय जीव-विज्ञान मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण:** यह संस्थान भारत में जीव-विज्ञान की गुणवत्ता नियंत्रण के उच्च मानक को बनाए रखने की

आवश्यकता को पूरा करने लिए स्थापित किया गया है। इसे स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में बनाया गया है। राष्ट्रीय जीव-विज्ञान संस्थान का उद्देश्य है: जीव-विज्ञान और प्रतिरक्षण जीव-विज्ञान उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण पद्धतियों हेतु मानकों को विकसित तथा तैयार करना, विश्वव्यापी वैज्ञानिक अनुसंधानों की बराबरी करने हेतु अन्य राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्पर्क बढ़ाना और जीव-विज्ञान तथा प्रतिरक्षण जीव-विज्ञानों की गुणवत्ता-नियंत्रण में प्रौद्योगिकीय विकास करना ताकि उनको अपनाने की उपयुक्तता पर परामर्श दिया जा सके, विनिर्माण एककों सहित संबंध संस्थाओं के क्रामिकों हेतु गुणवत्ता-नियंत्रण में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना और गुणवत्ता नियंत्रण तथा जीव-विज्ञान उत्पादों के निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अर्हता प्राप्त जन-शक्ति की उपलब्धता का समय-समय पर मूल्यांकन करना ताकि सरकार को देश में उचित उपायों तथा विद्यमान परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन की गुंजाइश के संबंध में सलाह दी जा सके।

**37. बी.सी.जी. टीका, गुडंडी, चेन्नई:** यह स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय का अधीनस्थ कार्यालय है, जो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बी.सी.जी. का टीका तथा ट्यूबरकूलिन, पी.पी.डी. को बनाने तथा उनकी आपूर्ति करने के लिए स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा निर्धारित आबंटन के अनुसार एफ.डी. बी.सी.जी. टीके की आपूर्ति सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई है।

**38. अखिल भारतीय स्वच्छता विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्थान कलकता:** यह संस्थान देश में लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अग्रगामी संस्थान है। इसका उद्देश्य स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सुविधाएं देकर लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनशक्ति का विकास करना और देश में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बीमारियों के बारे में अनुसंधान करना, और स्वास्थ्य संसाधनों का इष्टतम उपयोग किये जाने के लिए पद्धतियों के विकास और स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए निष्कर्षों का अनुपालन करने के लिए प्रचालनात्मक अनुसंधान करना है।

**39. लाला राम स्वरूप टी.बी. और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली:** यह देश में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थानों में से एक प्रमुख संस्थान है, जो कि देश की एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या टी.बी. के कारणों का पता लगाने में लगा हुआ है। इस संस्थान के पास उपचार करने के लिए आवासीय सुविधा देने हेतु एक क्लीनिक है और 520 बिस्तर हैं। यह पिछले 43 वर्षों से लोगों की उत्कृष्ट रूप से सेवा कर रहा है।

**40. राष्ट्रीय मानसिक-स्वास्थ्य कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम इस समस्या पर समुदाय आधारित दृष्टिकोण से विचार करता है जिसमें (क) राज्य के अन्तर्गत अभिज्ञात नोडल संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य दल को प्रशिक्षण देना (ख) मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, (ग) मानसिक बीमारी का जल्दी से पता लगाने तथा उसके उपचार हेतु सेवाएं प्रदान करना और समाज के लिए बाह्य रोगी विभाग तथा आन्तरिक उपचार के तहत जागरूकता लाना और रोग मुक्त हुए मामलों में अनुवर्ती कारवाई करना (घ) भविष्य की योजनाओं, सेवा में सुधार तथा अनुसंधान हेतु राज्य और केंद्र में समुदाय स्तर पर बहुमूल्य आंकड़े तथा अनुभव प्रदान करना शामिल है।

**41. अन्य लोक स्वास्थ्य संस्थान:** इसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, भारतीय पास्तुरी संस्थान कन्नूर और सीरमकर्ता तथा रसायन परीक्षक, कोलकाता शामिल है।

**42. अन्य योजनाएं:** इनके अन्तर्गत विविध योजनाओं के लिए व्यवस्था सम्मिलित हैं।

**43. राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि:** की स्थापना गरीबों को अस्पतालों में भर्ती करने पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए की जा रही है।

**44. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता :** गरीबों के लिए जरूरी दीर्घकालिक और खर्चीला इलाज उपलब्ध कराने पर होने वाले व्यय के लिए है।

**45. खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम:** इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं, अर्थात् (i) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के परामर्श से राष्ट्रीय मानकों का प्रतिष्ठापन (ii) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम और तत्संबंधी नियमों का प्रशासन तथा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए राज्यों की सरकारों से समन्वय और सम्पर्क, (iii) प्रशासनिक समर्थन की व्यवस्था, जैसे कि प्रशिक्षण, उपस्कर और प्रयोगशाला सुविधाओं आदि की व्यवस्था, और (iv) उपभोक्ता शिक्षण प्रदान करना।

46. **प्रशिक्षण संस्थान:** इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय क्षयरोग प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ सहित केंद्रीय कुष्ठ रोग अध्यापन और अनुसंधान संस्था, चिगलेपट्टु और क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्था, अस्का, राजपुर और गौरीपुर शामिल हैं।

47. **परिचर्या संबंधी सेवाओं का विकास:** परिचर्या में प्रशिक्षण देने, नए परिचर्या स्कूलों को खोलने, परिचर्या संबंधी विद्यमान स्कूलों/कालेजों को सुदृढ़ बनाने तथा दिल्ली में केंद्रीय सरकार के अस्पतालों में कार्यरत परिचर्या कामिकों के लिए रिहायशी आवास प्रदान करने हेतु इसमें व्यवस्था की गयी है।

48. **औषधि मानक नियंत्रण कार्यक्रम:** इसमें औषधि तकनीकी परामर्शी बोर्ड जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत एक सांविधिक बोर्ड है, के लिए व्यवस्था की गयी है जो इस अधिनियम के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले तकनीकी विषयों पर केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है; औषधि परामर्शी समिति, जो एक सांविधिक निकाय है, देश भर में औषधियों के एक समान उपयोग प्रयोज्यता पर विचार करता है और समय-समय पर सरकार को संशोधनों की सिफारिश करता है; राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को उनकी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए, राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों को उनकी सूचना प्रणाली को सुधारने तथा प्रवर्तन एवं सहायक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु वित्तीय सहायता देता है और एक तदर्थ समिति के माध्यम से भारतीय औषधि-कोटा तैयार करने और उसे अद्यतन बनाने का कार्य करता है।

50. **अन्य योजनाएं:** इनमें विविधयोजनाओं जैसे स्नवास्थ्य क्षेत्र आपदा प्रबंधन, क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता, के लिए प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त इसमें दसवीं पंच वर्षीय योजना में नई पहलकदमियों के लिए एक योजना शामिल है जिसके लिए वर्ष 2002-2003 के दौरान 26.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

53. **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (सिक्किम सहित):** इसमें योजना आयोग की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार पूर्वोत्तर और सिक्किम के विकास के लिए उल्लिखित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 155 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

1. राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम	45
2. राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	14
3. राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	8
4. राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम	14
5. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	30
6. राष्ट्रीय आयोडीन अपूर्णता विकार नियंत्रण कार्यक्रम	0.48
7. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	1.52
8. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	3
9. उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग	29
10. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम	
11. कैसर नियंत्रण कार्यक्रम	
12. नशा उन्मूलन कार्यक्रम	
13. 10वीं योजना में नई पहल कदमियां	
14. क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता	
15. आईसीएमआर, नई दिल्ली	
<b>जोड़</b>	<b>145.00</b>